IT Manager 3/9

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– DoH/SS/36/2025–म०वि०(योज०)-19- 131-/कृ०, पटना, दिनांक- 02.09. ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना हेतु 471.264 लाख (चार करोड़ इकहत्तर लाख छब्बीस हजार चार सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना हेतु 471.264 लाख (चार करोड़ इकहत्तर लाख छब्बीस हजार चार सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य स्ट्रॉबेरी के रकवा को बढ़ाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 12 जिलों यथा–बाँका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं वैशाली में किया जायेगा। योजना अन्तर्गत घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. **योजना का घटकवार संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः–**

I. **स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार–** इस घटक अन्तर्गत इकाई लागत 7,56,000.00 (सात लाख छप्पन हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर पर 40% अर्थात 3,02,400.00 (तीन लाख दो हजार चार सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान (स्ट्रॉबेरी के पौध सहित) एक मुश्त में दिया जायेगा। स्ट्रॉबेरी की खेती हेतु 0.4 X 0.4 मीटर पौधा से पौधा की दूरी के अनुसार प्रति हेक्टेयर 60,000 पौधा की आवश्यकता होगी।

इस घटक अन्तर्गत इकाई लागत की गणना वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई ई–निविदा में प्राप्त L1 दर (12.60 रूपये प्रति पौध) के आधार पर की गई है।

II. **स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु कूट का डिब्बा–** इस घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई ई–निविदा में प्राप्त L1 दर 14.50 (चौदह रूपये पचास पैसे) प्रति पीस पर 40% अनुदान अर्थात 5.80 (पाँच रूपये अस्सी पैसे) प्रति पीस अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

इस घटक अन्तर्गत इकाई लागत की गणना वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई ई–निविदा में प्राप्त L1 दर (14.50 रूपये प्रति कूट का डिब्बा) के आधार पर की गई है।

III. **स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु प्लास्टिक का छोटा डिब्बा**– इस घटक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई ई–निविदा में प्राप्त L1 दर 2.90 (दो रूपये नब्बे पैसे) प्रति पीस पर 40% अनुदान अर्थात 1.16 (एक रूपये सोलह पैसे) प्रति पीस अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

इस घटक अन्तर्गत इकाई लागत की गणना वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई ई–निविदा में प्राप्त L1 दर (2.90 रूपये प्रति प्लास्टिक का छोटा डिब्बा) के आधार पर की गई है।

5. योजना अंतर्गत घटकवार विशिष्टताएँ से संबंधित विवरणी निम्नवत् हैः–

क. स्ट्रॉबेरी का पौधा :–

तकनीकी विशिष्टताएँ–

i) Plant Height: - 4 inch & above with 3-4 leaves (Height should be measured from top portion of the planting cup/Pro Trays)
ii) Plant Health: - Plant should be healthy and should be free from all types of diseases and pests.
iii) All the plants should be true to the variety & ready to plant.
iv) All the plants should be free from all diseases & pests. (A certificate to be submitted at the time of supply)

ख. कूट का डिब्बा :–

तकनीकी विशिष्टता–

i) LENGTH X BREADTH X HEIGHT- 18 INCH/ 9.5 INCH/ 3INCH
ii) MATERIAL- RECYCLED KRAFT PAPER, 5 PLY CORRUGATED BOARD
iii) DUPLEX BOARD- 2.3 GSM
iv) CORRUGATION- 150 GSM KRAFT
v) PASTING- 120 GSM
vi) WEIGHT- 180GM-200GM

ग. प्लास्टिक का छोटा डिब्बा :–

तकनीकी विशिष्टता–

i) LENGTH X BREADTH X HEIGHT- 120 X 115 X 70 MM
ii) THICKNESS- 0.5MM MINIMUM
iii) WEIGHT- 10-12 GM
iv) MATERIAL- P.E.T. (POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) OR PP- -FOOD GRADE, RECYCLABLE- TRANSPARENT/ SEMI- TRANSPARENT FOR RETAIL VISIBILITY
v) VENTILATION- 6-12 HOLES (EACH 3-5 MM DIA.) ON SIDES

6. स्ट्रॉबेरी की खेती अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर उपज 20–25 टन है, जिसके मार्केटिंग के लिए 12,500 कूट का डिब्बा तथा 100000 प्लास्टिक का डिब्बा का उपयोग होता है। एक प्लास्टिक के डिब्बे में 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी का फल रखा जाता है तथा एक कूट के डिब्बा में 8 प्लास्टिक का छोटा डब्बा रखा जाता है।

7. योजनान्तर्गत तीनों स्वीकृत अवयवों के क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन एवं दर का निर्धारण बिहार वित्तीय नियमावली के आलोक में ई–निविदा प्रकाशित कर की जायेगी। निविदा मे प्राप्त न्यूनतम दर अथवा इकाई लागत का दर जो भी न्यूनतम होगा के आधार पर ही अनुदान राशि का भुगतान लाभुकों को किया जायेगा।

8. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। योजना अन्तर्गत जिलावार/वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

9. इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

10. इस योजनान्तर्गत स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत् अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों एवं स्वयं की लागत पर खेती करने वाले कृषकों को भी कूट का डब्बा एवं प्लास्टिक का छोटा डब्बा का लाभ दिया जायेगा।

11. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

12. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने हेतु हॉर्टिकल्चर के वेबसाईट के लिंक http://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर Dashboard पर "फल से संबंधित योजना" के "आवेदन करें" पर Click कर उपलब्ध "स्ट्रॉबेरी विकास योजना" पर Click कर अथवा Bihar Krishi App पर आवेदन किया जायेगा।

13. DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि यथा–In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

14. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की राशि प्रति हेक्टेयर 60,000 पौधों की दर से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन में सही पाए गए पौधों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ता/चयनित किसानों को सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा नियमानुसार अनुदान भुगतान किया जायेगा।

15. प्रावधानित बजट के आलोक में लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

16. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC- 25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

18. इस योजनान्तर्गत कुल 3840 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

19. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

20. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

21. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य योजना		
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.490	370.11661
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	94.25280
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.510	6.89459
कुल योग	**24300.000**	**471.26400**

22. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–29.08.2025 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति से योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DoH/SS/36/2025 के पृ0सं0–41/टि0 पर दिनांक–02.09.2025 को प्राप्त है।

23. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– DoH/SS/36/2025 के पृष्ठ संख्या–40/टि० दिनांक–01.09.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–704 दिनांक–01.09.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/36/2025–पी०पी०एम०(प्राथ०)-19 - 131-/कृ०, पटना, दिनांक - 02.09.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\DD2 (Gaurav)\Sanction Order (Strawberry) (471.264).doc

ज्ञापांक– DoH/SS / 36 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-131-/कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS / 36 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-131-/कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS / 36 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-131-/कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS / 36 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-131-/कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संबंधित उप निदेशक, उद्यान / सभी जिला उद्यान पदाधिकारी / संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS / 36 / 2025–पी०पी०एम०(शाखा)-19-131-/कृ०, पटना, दिनांक – 02.09. ,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्कीम मद से स्ट्रॉबेरी विकास योजना का कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	अवयव	इकाई लागत / हे० / प्रति इकाई	सहायता अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की राशि / हे० / प्रति इकाई	भौतिक लक्ष्य (हे०) / संख्या	वित्तीय लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार	7.56000	40%	3.0240000	96	290.304	
2	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु कुट का डब्बा	0.0001450	40%	0.0000580	1200000	69.600	एक हेक्टेयर हेतु 12500 कूट के डिब्बे की आवश्यकता होगी।
3	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु प्लास्टिक का छोटा डब्बा	0.000029	40%	0.0000116	9600000	111.360	एक हेक्टेयर हेतु 100000 प्लास्टिक के छोटे डिब्बे की आवश्यकता होगी।
कुल :–					**10800096**	**471.264**	

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

उपेन्द्र कुमार

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्कीम मद से स्ट्रॉबेरी विकास योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक हे०/संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य			कुल वित्तीय लक्ष्य (6+7+8)
		स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार (हे०)	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु कूट का डब्बा (संख्या)	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु प्लास्टिक का छोटा डब्बा (संख्या)	स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु कूट का डब्बा	स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु प्लास्टिक का छोटा डब्बा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	4	50000	400000	12.096	2.900	4.640	19.636
2	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	6	75000	600000	18.144	4.350	6.960	29.454
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	25	312500	2500000	75.600	18.125	29.000	122.725
4	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	15	187500	1500000	45.360	10.875	17.400	73.635
5	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	4	50000	400000	12.096	2.900	4.640	19.636
6	सहायक निदेशक उद्यान, गया	8	100000	800000	24.192	5.800	9.280	39.272
7	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	4	50000	400000	12.096	2.900	4.640	19.636
8	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	4	50000	400000	12.096	2.900	4.640	19.636
9	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	6	75000	600000	18.144	4.350	6.960	29.454
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	8	100000	800000	24.192	5.800	9.280	39.272
11	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	8	100000	800000	24.192	5.800	9.280	39.272
12	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	4	50000	400000	12.096	2.900	4.640	19.636
कुल		**96**	**1200000**	**9600000**	**290.304**	**69.600**	**111.360**	**471.264**

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

उपेन्द्र कुमार

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्कीम मद से स्ट्रॉबेरी विकास योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य			
		सामान्य श्रेणी @78.537%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.463%	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	15.42152	3.92720	0.28728	19.63600
2	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	23.13229	5.89080	0.43091	29.45400
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	96.38453	24.54500	1.79547	122.72500
4	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	57.83072	14.72700	1.07728	73.63500
5	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	15.42153	3.92720	0.28727	19.63600
6	सहायक निदेशक उद्यान, गया	30.84305	7.85440	0.57455	39.27200
7	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	15.42152	3.92720	0.28728	19.63600
8	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	15.42153	3.92720	0.28727	19.63600
9	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	23.13229	5.89080	0.43091	29.45400
10	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	30.84305	7.85440	0.57455	39.27200
11	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	30.84305	7.85440	0.57455	39.27200
12	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	15.42153	3.92720	0.28727	19.63600
कुल		**370.11661**	**94.25280**	**6.89459**	**471.26400**

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

उपेन्द्र कुमार